रा.मु.अ.33 4-2000-10 लाख फा.

A P P
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

रामधन बनाम कैलाश वगै०

किस्म मुकदमा दावा उद्घोषणा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा नं० सन् 135/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वादी द्वारा तकास्मा नहीं करने की इस्तदुआ विड्रा करने का निवेदन किया गया। इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। वादी वाद उद्घोषणा तकास्मा की इस्तदुआ को छोड़कर किस्त एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 22/01/25	मैं तकासमा नहीं करवाना नहीं चाहता हूं। नि० रामधन (हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्याः 135 / 2023
प्रकरण दायर दिनांकः 01.09.2023
प्रकरण निर्णय दिनांकः 22.01.2025

उनवान

1. रामधन पुत्र ग्यारसा जाति माली निवासी धांधोलाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा
– वादी

बनाम

1. कैलाश
2. श्रवण
3. रामअवतार

पुत्रान ग्यारसा — समस्त जाति माली निवासी धांधोलाई तह. बांदीकुई

4. रामधन पुत्र हाण्डा जाति बैरवा निवासी बडियालकलां तहसील बांदीकुई
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा
–प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

::निर्णय::

वादी द्वारा दावा उद्घोषणा, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से पेश किया कि भूमि काश्त खाता संख्या नया 176 पुराना 166 के खसरा नं. 64, 65, 66, 67 कुल किता 04 कुल रकबा 1.51 हैक्टे लगानी 27 रूपये 54 पैसे जिसके वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 खातेदार काश्तकार है किन्तु राजस्व अभिलेख जमाबंदी में हाण्डा पुत्र हरिया जाति बैरवा का इन्द्राज हो रहा है। उक्त वर्णित भूमि के साबिक नंबर 160 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा रहे है जिसके तत्कालीन खातेदार हाण्डा पुत्र हरिया का इन्द्राज हो रहा है। वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि के राजस्थान काश्तकारी कानून एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 से पूर्व से वादीगण के पिता ग्यारसा पुत्र आनंदा व आनंदा पुत्र लाखा व उसके परिवारजन फूल्या व बील्या का कब्जा काश्त व स्वामित्व चला आ रहा है तथा जागीर एक्ट 1952 से पूर्व से ही वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमे वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के अलग अलग चार मकान बने हुये हे तथा विद्युत कनेक्शन करा कर एक पुख्ता कुआ व एक बोरिंग कराकर काश्त कर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी संवत् 2009 से 2017 में हो रहा है। भूमि मुतदाविया पर वादी के पिता व दादा का कब्जा व स्वामित्व होने तथा प्रतिवादी संख्या 04 का व उसके पिता का कब्जा काश्त नहीं रहा किन्तु जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 04 के पिता हाण्डा पुत्र हरिया का इन्द्राज होने से वादी के पिता ग्यारसा पुत्र आनंदा व दादा आनंदा पुत्र लाखा द्वारा अपनी उपरोक्त नाम वाली भूमि मुतदाविया के वादीगण के पिता / दादा के हक में बेचान कर एक रूपये के स्टाम्प पर बिकीनामा

दिनांक 07.12.1961 को तहरीर कर दिया जिससे भी हाण्डा पुत्र हरिया द्वारा कथन किया कि उपरोक्त भूमि मुतदाविया पर हाण्डा पुत्र हरिया का कोई कब्जा काश्त नहीं है केतागण ग्यारसा व आनंदा का है तथा उक्त विकयनामा के आधार पर ग्राम पंचायत बडियालकलां द्वारा भूमि मुतदाविया पर वादीगण के पूर्वजों का कब्जा व स्वामित्व होने से तथा हाण्डा पुत्र हरिया द्वारा विकयनामा तहरीर करने से उक्त भूमि मुतदाविया ग्राम पंचायत बडियालकलां द्वारा नामान्तकरण संख्या 71 दिनांक 21.07.1962 के तहरीर कर उक्त नामान्तकरण के आधार पर जमाबंदी में वादीगण के पिता/दादा का इन्द्राज कर दिया। नकल नामान्तकरण एवं साबिक जमाबंदी पेश है। वाद पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वजो का संवत् 2009 से पूर्व से ही कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 से पूर्व से प्रतिवादी संख्या 04 व उसके पिता का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा तथा संवत् 2009 से वादी के पूर्वजों का कब्जा व स्वामित्व होने बाबत प्रतिवादी संख्या 04 के पिता द्वारा भी लिखावट इकरारनामा में इस बात का कथन किया है कि उक्त भूमि पर पूर्व से ही वादी के पूर्वजो का कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है जिसकी बाबत दिनांक 27.07.1962 को ग्राम पंचायत बडियाल कलां द्वारा नामान्तकरण संख्या 71 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पिता व दादा ग्यारस्या पुत्र आनंदा व आनंदा पुत्र लाखा के नाम खोला जाकर जमाबंदी संवत् 2026–2029 में आनंदा पुत्र लाखा व ग्यारस्या पुत्र आनंदा का राजस्व अभिलेख जमाबंदी में इन्द्राज कर दिया। संवत 2027 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर आनंदा पुत्र लाखा व ग्यारस्या पुत्र आनंदा माली का नाम हटाकर प्रतिवादी संख्या 04 के पिता हाण्डा पुत्र हरिया का नाम दर्ज रिकॉर्ड कर दिया। जो राजस्व कर्मचारियो द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 से साज कर बिना वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पिता व दादा को सुने बिना अदम जानकारी अवैध रूप से जमाबंदी में से नाम काट दिया। जो खसरा गिरदावरी व जमाबंदी से स्पष्ट प्रमाणित है जिसे दुरूस्त करवाना आवश्यक है। उक्त गलत इन्द्राज आज दिन तक चला आ रहा है जिसको दुरूस्त करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड से हाण्डा पुत्र हरिया का नाम हजफ करवाया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम खातेदारी में नाम का इन्द्राज करवाया जाना आवश्यक है। हाण्डा पुत्र हरिया की मृत्यु हो चुकी है। जिसका प्रतिवादी संख्या 04 पुत्र व वैध प्रतिनिधि है तथा उक्त गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादी संख्या 04 भूमि को दीगर सख्स को रहन बेचान करने पर आमादा है जिसका कि उसे किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 04 का भूमि मुतदाविया से कभी भी किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 04 के पिता के नाम वादग्रस्त भूमि होने का नाजायज फायदा उठाने पर आमादा हो रहा है। ऐसी सूरत में राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 04 के पिता हाण्डा पुत्र हरिया का नाम हजफ किया जाना आवश्यक है तथा उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का राजस्व अभिलेख जमाबंदी में दर्ज किया जाना आवश्यक है। भूमि मुतदाविया पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वजो का संवत् 2009 से पूर्व से ही कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेख, गिरदावरी संवत् 2009 से 2017 में खातेदार काश्तकार का इन्द्राज हो रहा है। कानूनन जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 (जागीर रिज्यूम) में जिस भूमि पर जो व्यक्ति काश्त करता था वह स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गया तथा उसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वजों का जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 (जागीर रिज्यूम) व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पूर्व से ही कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या

01 लगायत 03 इसी आधार पर भूमि मुतदाविया की उद्घोषणा अपने नाम करवाने के अधिकारी है। भूमि मुतदाविया का तकास्मा कराये बिना प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 पुख्ता निर्माण कर रास्ता व आवागमन को अवरूद्ध करने पर आमादा है भूमि मुतदाविया शामलाती खातेदारी की भूमि है तथा कानूनन भूमि का विधिक बंटवारा किये निर्माण करने का कोई कानूनी अधिकार प्रतिवादीगण को नही है प्रतिवादीगण गलत व विधि विरूद्ध तरीके से भूमि का बिना विभाजन वादी के हिस्से वाली भूमि पर जबरन निर्माण कर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है जिसकी बाबत वादी ने दिनांक 15.08.2023 को प्रतिवादीगण से तकास्मा कराने हेतु कहा तो इंकार हो गये। वादी विधिक तकास्मा करा कर अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करना चाहता है। इसलिए भूमि की खातेदारी वादी के हक में की जाकर वादी के हिस्से का सरस–नरस के अनुसार तकास्मा किया जाकर वादी का अलग चक अलग पासबुक जारी करवाने का वादी अधिकारी है। वादी द्वारा दिनांक 15.08.2023 को उक्त अवैध इन्द्राज दुरूस्ती को निरस्त करवाने एवं भूमि का विधिवत तकास्मा कराने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इंकार दुरूस्ती इन्द्राज कराने एवं उक्त अवैध इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 04 ने एलानियां कहा कि हम भूमि को बेचान करेंगे और नाजायज कब्जा करेंगे अवैध इन्द्राज शून्य होने के बावजूद प्रतिवादी संख्या 04 नाजायज बेचान करने पर उतारू है। अगर प्रतिवादीगण अपने उद्देश्य में सफल हो गये तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। प्रतिवादीगण नाजायज तरीके से वादी के कब्जे–काश्त में दखलान्दाजी करेगे और वादी को भूमि में से वंचित करने का प्रयास करेंगे तथा उक्त अवैध इन्द्राज के आधार पर अपने नाम प्रतिवादी संख्या 04 अपने नाम नामान्तकरण खुलवा कर किसी दीगर सख्स को भूमि का बेचान करेगे इसलिये प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि पर नाजायज निर्माण न करें, रहन बय नहीं करें व वादी को उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने के लिये व बेचान नहीं करने के लिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराना आवश्यक है। बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत दिनांक 15.08.2023 को प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा अपने पिता के नाम हुए उक्त अवैध इन्द्राज की आड में भूमि को दीगर सख्सों को बेचान करने की धमकी देने तथा प्रतिवादीगण द्वारा भूमि का बंटवारा करने से इंकार होने से योम इंकार अवैध इन्द्राज निरस्त कराने से न्यायालय क्षेत्र में उत्पन्न हुये है। पक्षकारान व भूमि न्यायालय क्षेत्र में है इसलिये न्यायालय हाजा के वाद सुनने का अधिकार प्राप्त है। अतः इस्तदुआ है कि वाद तहकीकात दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न डिक्री पारित की जावें कि ग्राम धांधोलाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि काश्त खाता संख्या नया 176 पुराना 166 के खसरा नं. 64, 65, 66, 67 कुल किता 04 कुल रकबा 1.51 हैक्टे में प्रतिवादी संख्या 04 के पिता हाण्डा पुत्र हरिया का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में उसी अनुसार इन्द्राज किया जावें। ग्राम धांधोलाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि काश्त खाता संख्या नया 176 पुराना 166 के खसरा संख्या 64, 65, 66, 67 कुल किता 04 कुल रकबा 1.51 हैक्टे वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 मे विधिक कब्जा व रास्ते व आवागमन को ध्यान में रखते हुये सरस–नरस बंटवारा किया जाकर वादी को उसके हिस्से की भूमि पर वास्तविक कब्जा कराया जावें तथा लगान का बंटवारा किया जाकर राजस्व अभिलेख में वादी के नाम पृथक पर्चा बनाया जाकर अलग–अलग पासबुक जारी की जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे स्वयं उसके परिवारजन, नौकर, एजेन्ट, मददगारान वादी के हिस्से

की भूमि में वादीगण के उपयोग–उपभोग में कोई हस्तक्षेप न करे व रहन बय न करे तथा नाजायज कब्जा नहीं करे इस हेतु बाज व मुमतन्हा रहे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस विधिवत की गई। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 03 की ओर से एड. श्री फिरोज खान ने वकालतनामा व जबाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 04 व 05 बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 की ओर से प्रस्तुत जबाब दावा में वाद पत्र का पैरा नंबर 01 लगायत 03 स्वीकार है वादग्रस्त भूमि पर मिन प्रतिवादीगण के पुख्ता मकानात बने हुये है तथा कुआं व बोरिंग कराकर काबिज काश्त है उक्त भूमि पर रामधन पुत्र हाण्डा व इनके पूर्वजो का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, न ही उक्त व्यक्ति ग्राम धांधोलाई में रहा है राजस्थान काश्तकारी कानून एवं जागीर पुर्नग्रहण कानूनन से पूर्व ही रामधन पुत्र हाण्डा के पूर्वज ग्राम धांधोलाई छोडकर चले गए तथा उक्त भूमि पर जागीर पुनग्रहण से पूर्व से ही मिन प्रतिवादीगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वाद पत्र का पैरा संख्या 04 लगायत 11 स्वीकार है। भूमि मुतदाविया पर काश्तकारी कानून से पूर्व वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उसी अनुसार ग्राम पंचायत बडियाल कलां द्वारा मिन प्रतिवादीगण के पूर्वज आनंदा पुत्र लाखा व ग्यारसा पुत्र आनंदा का भूमि पर कब्जा व स्वामित्व मानते हुये दिनांक 21.07.1962 को नामान्तकरण ग्राम पंचायत की कोरम में खोला जाकर उसी अनुसार राजस्व अभिलेख जमाबंदी में इन्द्राज किया गया था तथा उसी अनुसार पक्षकारान भूमि पर काबिजकाश्त है। राजस्थान काश्तकारी कानून से पूर्व प्रतिवादीगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त होने से नामान्तकरण विधि अनुकूल खोला गया था तथा उसी अनुसार जमाबंदी में इन्द्राज किया गया था। किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी हक, अधिकार व बिना प्रतिवादीगण को सूचना सुनवाई के प्रतिवादीगण के पूर्वज का नाम, जमाबंदी में से हजफ करवा दिया, जिसको दुरूस्त करवाने के प्रतिवादीगण अधिकारी है। भूमि मुतदाविया में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 का जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 से पूर्व से कब्जाकाश्त होने से तथा इसका इन्द्राज गिरदावरी संवत् 2009 से चले आने से भूमि मुतदाविया में प्रतिवादीगण स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो गये तथा उसी अनुसार अपने हक की उद्घोषणा कराने के प्रतिवादीगण अधिकारी है।

प्रकरण में वादी वाद एवं जबाब प्रतिवादीगण के अभिवचन के आधार पर तनकीयात कायम की गयी। वादीगण की ओर से वाद की ताईद में रामधन पुत्र ग्यारसा, रामअवतार पुत्र रामसिंह, रामस्वरूप पुत्र जगन्याराम सैनी ने साक्ष्यवादी शपथ पत्र पेश किये।

तदुपरांत हमने वादी/प्रतिवादीगण अभिभाषक बहस सुनी। उभयपक्ष वकुलाय ने वादपत्र/जबाब वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया वादी वकील ने वाद बाबत उद्घोषणा एव स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने बाबत निवेदन किया गया तथा वकील वादी द्वारा दौराने बहस न्यायालय के समक्ष न्यायिक दृष्टांत (01) माननीय न्यायालय द्वारा 2007 आरबीजे 696 छोटीलाल बनाम बाल्या व (2) माधू एवं अन्य बनाम पन्ना एवं अन्य 1994 आर.आर.डी. 98 व (3) Sawa LaL v State 1984 Raj LR 842 पेश की जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा अपना दृष्टांत प्रस्तुत किया है कि Amendments in 1964 held not retrospective – Any transfer made prior to amendment in S. 42 is held to be valid (1964 RLW 512 followed) पेश किया तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ कर वादी व प्रतिवादीगण संख्या

01 लगायत 03 का नाम इन्द्राज कराने व उसी अनुसार पक्षकारान में विधिक बंटवारा किये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने वादी/प्रतिवादी अभिभाषक की बहस पर मनन किया, वादी वादपत्र एवं जबाब प्रतिवादीगण संलग्न राजस्व दस्तावेजात का कायम तनकीयात के मध्यनजर अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:–

तनकी संख्या 01:– आया वादी वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 04 के पिता का नाम हजफ कर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वाद की ताईद में ग्राम धांधोलाई जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता संख्या 176 को प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल संवत 2052 प्रदर्श 2, खतौनी बंदोबस्त संवत् 2008–22 प्रदर्श 3, खसरा गिरदावरी संवत् 2009 लगायत 2012 प्रदर्श 4, खसरा गिरदावरी संवत् 2013 लगायत 16 प्रदर्श 5 जमाबंदी संवत् 2026–29 प्रदर्श 6, जमाबंदी संवत् 2022 से 25 प्रदर्श –7, जमाबंदी संवत् 2034–37 प्रदर्श 8, खसरा गिरदावरी संवत् 2031–34 प्रदर्श 9 ,नामान्तकरण संख्या 210 प्रदर्श 10 पेश किये गये। प्रस्तुत किये गये दस्तावेज प्रदर्श 4 खसरा गिरदावरी संवत् 2009 लगायत 2012 में वादी के पिता ग्यारसा पुत्र आनंदा व आनंदा पुत्र लाखा व उसके परिवारजन फूल्या व बील्या का नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी कानून एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 से पूर्व से वादीगण के पिता ग्यारसा पुत्र आनंदा व आनंदा पुत्र लाखा व उसके परिवारजन फूल्या व बील्या का कब्जा काश्त व स्वामित्व चला आ रहा है तथा जागीर एक्ट 1952 से पूर्व से ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वजों का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमे वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के अलग अलग चार मकान बने हुये हे तथा विद्युत कनेक्शन करा कर एक पुख्ता कुआ व एक बोरिंग कराकर काश्त कर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। खसरा गिरदावरी संवत् 2009 लगायत 2012 एवं 07/12/1961 का बिकी नामा तथा नामान्तकरण एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तो के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादीगण के पूर्वज वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त होना प्रतीत होता वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पूर्वजो को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 15 एवं 19 के तहत खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है। इस प्रकार वादीगण अपने कथन को साबित करने मे सफल रहे है। तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 02:– आया वादी वादग्रस्त भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 में विधिक कब्जा, रास्ते व आवागमन को ध्यान में रखते हुये सरस–नरस बंटवारा किया जाकर वादी को उसके हिस्से की भूमि पर वास्तविक कब्जा कराये जाने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। तनकी संख्या 1 के विवेचन के आधार पर वादीगण खातेदारी पाने के अधिकारी है। खातेदार अपनी जोत का विभाजन करवा सकता है। परन्तु प्रकरण में वादी रामधन पुत्र ग्यारसा स्वयं न्यायालय उपस्थित आकर वाद में तकास्मा नहीं करवाना चाहने की हद तक वाद को विड्रा किये जाने बाबत निवेदन किया। तकास्मा करवाने के कथन को विड्रो करने के कारण उक्त तनकी का निर्णय किया जाना उचित नही है।

तनकी संख्या 03:– आया प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी कानून से पूर्व प्रतिवादीगण के पूर्वजो का कब्जा काश्त होने से नामान्तकरण विधि अनुकूल खोला गया था। किन्तु प्रतिवादीगण के पूर्वज का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हजफ करवा दिया, जिसको दुरूस्त करवाने के प्रतिवादीगण अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 है। वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजात के आधार पर तनकी संख्या 1 में विवेचन किया जा चुका है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 3 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 04:– आया प्रतिवादीगण प्रतिवादी संख्या 04 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ कर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 का नाम इन्द्राज कराने व उसी अनुसार पक्षकारान में विधिक बंटवारा किये जाने के अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 पर है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजात खसरा गिरदावरी संवत् 2009 लगायत 2012 एवं 07/12/1961 का बिक्री नामा तथा नामान्तकरण के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त होना प्रतीत होता वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वजो को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 15 एवं 19 के तहत खातेदारी अधिकार पाने के अधिकारी है। तनकी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 05:– अनुतोष। तनकी संख्या 01 लगायत 04 के विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद को साबित करने में सफल रहे है। वादी स्वयं वाद में वर्णित भूमि का तकास्मा नहीं करवाना चाहता है। इसलिये वाद वादी दावा उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की हद तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं बहस पर आद्योपांत मनन एवं परिशीलन करने के उपरांत दिनांक 07.12.1961 को हुये बिक्रीनामा के कम में एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2009 से 2017 में हो रहे इन्द्राज के आधार पर प्रश्नगत भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 को खातेदार काश्तकार घोषित करने के पर्याप्त दृष्टांत एवं सबूतो के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

अतः तकास्मा की इस्तदुआ को छोडकर आदेश है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 को ग्राम धांधोलाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि काश्त खाता संख्या नया 176 पुराना 166 के खसरा संख्या 64 रकबा 1.44 हैक्टे., खसरा नं. 65 रकबा 0.03 हैक्टे. खसरा संख्या 66 रकबा 0.01 हैक्टे. खसरा संख्या 67 रकबा 0.03 हैक्टे. कुल किता 04 कुल रकबा 1.51 हैक्टे. में प्रतिवादी संख्या 04 के पिता हाण्डा पुत्र हरिया का नाम हजफ करके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को उनके हिस्सा अनुसार खातेदार एवं काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई राजस्व रिकॉर्ड मे नियमानुसार अमल दरामद करें।साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 4 के वारिसान को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे स्वयं उसके परिवारजन, नौकर, एजेन्ट, मददगारान वादी के हिस्से की

४५६-

भूमि में वादीगण के उपयोग–उपभोग में कोई हस्तक्षेप न करे व रहन बय न करे तथा नाजायज कब्जा नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर किया जावे।। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

22/01/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई